पत्र संख्याः-3ए-2-वे0पु0-13/2009 7879

बिहार सरकार,

वित्त विभाग ।

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांकः- 21/7/10

विषयः- **माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन की स्वीकृति ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि इस कार्यालय के पत्रांक 11350 वि0 (2), दिनांक 25/11/2009 द्वारा माननीय मंत्रियों/राज्य मंत्रियों एवं ऐसे सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के संबंध में पुनरीक्षित वेतनमान में औपबंधिक रूप से नियत वेतन का निर्धारण स्वीकृत किया गया था ।

इस संबंध में वित्त विभागीय संकल्प सं0 6966, दिनांक 29/06/2010 द्वारा वित्त विभाग के संकल्प 630, दिनांक 21/01/2010 की कंडिका 8 में संशोधन किया गया । जिसके क्रम में उक्त परिपत्र के शेड्यूल-II में 01/01/2006 से 31/12/2008 तक स्थायी पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाले सरकारी कर्मियों के लिए प्रवेश वेतनमान मंत्री, राज्य मंत्री एवं उपमंत्री के साथ या मंत्रियों की सुविधा प्राप्त महानुभावों के साथ कार्यरत बाह्य व्यक्तियों के लिए भी प्रभावी करने का निर्णय प्रसारित किया जा चुका है । 01/01/2006 से 31/12/2008 तक स्थायी पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए शेड्यूल-II का प्रवेश वेतन, 31/12/008 के बाद स्थायी पद के विरूद्ध नियुक्त होने वाले कर्मचारियों पर भी प्रभावी होगा । जिसके क्रम में 01/01/2006 के बाद से नियुक्त होने वाले ऐसे बाह्य व्यक्तियों का नियत वेतन निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाएगाः-

क्र0	पदनाम	अपुनरीक्षित वेतनमान	नियत वेतन	01/01/06 से पुनरिक्षित वेतनमान	पुनरीक्षित वेतनमान में नियत वेतन	
					पे बैंड का आरम्भिक प्रक्रम+ग्रेड पे	नियत वेतन
1	2	3	4	5	6	7
1	आप्त सचिव	6500-10500	6500	9300-34800	13350+4800	18150
2	निजी सहायक	5500-9000	5500	9300-34800	12540+4600	17140
3	निम्नवर्गीय लिपिक	3050-4590	3050	5200-20200	5830+1900	7730
4	आदेशपाल	2550-3200	2550	4440-7440	4440+1300	5740

sec. 3A.AKS/RK

वित्त विभाग के संकल्प 630 वि0 (2), दिनांक 21/01/2010 द्वारा राज्य सरकार के कर्मचारियों को 01/01/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का वैचारिक लाभ तथा 01/04/2007 से आर्थिक लाभ की स्वीकृति प्रदान किया गया है ।

01/04/2007 से 31/12/008 तक उक्त नियत वेतन के आधार पर देय कुल बकाया राशि का भुगतान इन बाह्य व्यक्तियों को एकमुश्त जुलाई, 2010 के वेतन के साथ कर दिया जाए ।

इन बाह्य कर्मचारियों को सेवा अवधि में नियत वेतन पर समय-समय पर स्वीकृत महँगाई भत्ता देय होगा । इसके अतिरिक्त इन्हें कोई अन्य भत्ते अनुमान्य नहीं होंगे ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-13/2009 दिनांकः-

प्रतिलिपिः-सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी मंत्री/राज्य मंत्री/उप मंत्री एवं समकक्ष महानुभावों के आप्त सचिवों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांकः-3ए-2-वे0पु0-13/2009 7879 दिनांकः-21/7/10

प्रतिलिपिः-सभी कोषागार/उप कोषागार/ वित्त लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/7/10
(अरूण कुमार सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

sec. 3A.AKS/RK